कार्यालय उमनि/निदेशक(दूरसंचार), पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, व्ही.आई.पी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)–452005

दूरभाष : 0731–2612721 E mail : dir_prts@mppolice.gov.in

क्रमांक : पु.रे.ट्रे.स्कूल/इं./उपुअ(रे)/वाह्य प्रशि./R-37/25, दिनांक 14/12/2025

//आदेश//

संस्था में आगामी माह में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले नव आरक्षकों हेतु ज्वॉइनिंग निर्देश :–

1. नव आरक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण में भेजे जाने से पूर्व उनकी तैनाती इकाई में मेडिकल कराया जाना सुनिश्चित करें एवं जो नव आरक्षक मेडिकल में फिट पाये गये है उन्हे प्रशिक्षण संस्थान के लिये रवाना करते समय रवानगी आदेश के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर भेजे।
2. कई नव आरक्षकों का जिले में प्रान नम्बर आवंटित न होने से उनका वेतन आहरित नही होता है जिसके कारण आरक्षक प्रशिक्षण शाला में मैस एडवांस एवं अन्य सामग्री की राशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त करते है,जिससे प्रशिक्षण कार्य/व्यवस्था में असुविधा होती है। अतः सभी नव आरक्षकों को इकाई से प्रान नम्बर आवंटित कराकर ही भेजा जावे।
3. सभी नव आरक्षकों का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खोला जावें व सभी नव आरक्षकों को उस बैंक का एटीएम एवं चैक बुक देकर भेजा जावे ताकि उन्हे वेतन समय पर प्राप्त हो सकें। अगर किसी नव आरक्षक का खाता सहकारी बैंक में है तो उसकों बदलवा दिया जाये। बिना खाता खोले तथा बिना एटीएम कार्ड व उसके पासवर्ड को प्राप्त कर आने वाले प्रशिक्षु नव आरक्षकों की पुलिस प्रशिक्षण शाला में आमद नही ली जावेगी।
4. प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 12 आदेश क्रमांक पुमु/प्रशिक्षण /टी 6/2471/17 दिनांक 23/09/2017 को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये जिससे नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से पूर्व प्रशिक्षण नियमों से अवगत हो सकें।
5. सभी नव आरक्षकों को दो–दो पासपोर्ट साईज के फोटो व जिन नव आरक्षकों के पास ड्रायविंग लाइसेंस हो तो उन्हे साथ लेकर भेजा जाये।
6. इकाई से प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान के पूर्व नव आरक्षकों की किट, सामग्रियों की जांच, जिला प्रभारी/प्रशासन प्रभारी द्वारा कर ली जावे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रशिक्षणार्थियों के पास आवश्यक समस्त किट एवं अन्य सामग्री उपलब्ध रहे। बिना पूर्ण किट सामग्री के किसी प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण हेतु पीआरटीएस इंदौर के लिये रवाना न किया जावे।
7. जिला प्रभारी/प्रशासन प्रभारी यह सुनिश्चित करेगें कि वर्दी शालीन व पुलिस रेग्यूलेशन के मुताबिक हो एवं चुस्त कमीज/पेंट, बिना प्लेट के पैंट आदि वस्त्र न पहने जाये प्रशिक्षण प्रभारी सुनिश्चित करेगें। किट में निम्न सामग्री लाना अनिवार्य हैः–

1	वर्किंग यूनिफार्म	–	दो जोडी
2	प्रायवेट ड्रेस	–	दो जोडी (पुरुषों के लिये गहरे रंग की फुल पेंट एवं हल्के रंग की पूरी आस्तीन की शर्ट)
3	प्रायवेट शू	–	एक जोडी (ब्लेक कलर) लैस वाला
4	कम्बल	–	एक नग
5	सफेद चादर, मच्छरदानी तथा तकिया	–	01 सेट गिलाफ
6	स्पोर्टस ड्रेस	–	01 ट्रेक सूट (प्लेन नेवी ब्लू), पीटी, परेड एवं 03 नग सफेद टी शर्ट
7	स्पोर्टस शू	–	सफेद मोटे सोल वाला, मोजे लम्बे सफेद
8	बैक पैक	–	01 नग
9	ग्राउंड शीट	–	01 नग

लगातार--2

8. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 4000/– मैस एडवांस के रुप में पीआरटीएस इंदौर में जमा करना अनिवार्य होगा। सत्र की समाप्ति पर विलों के भुगतान के बाद की शेष राशि वापिस कर दी जायेगी।
9. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रशिक्षणार्थी को किसी प्रकार का अनावश्यक अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा। अतः सभी प्रशिक्षणार्थी को सूचित किया जाये कि प्रशिक्षण के दौरान वह स्वयं के विवाह को स्थगित रखे एवं परिवार के ऐसे किन्ही शादी विवाह आदि समारोह में समिलित होना स्थगित रखे जिससे प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न न हो।
10. क्लास रुम में मोबाईल प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के पास क्लासरुम में मोबाईल पाया गया तो उसको जप्त कर लिया जावेगा एवं इसका उल्लघन दण्डनीय होगा। केम्पस से बिना अनुमति के गैर हाजिर होना दण्डनीय होगा। केम्पस के अंदर एवं केम्पस के बाहर किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने के लिये प्रशिक्षणार्थियों को इकाई वापस कर दिया जावेगा व दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।
11. यदि नव आरक्षक की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो संबंधित आरक्षक को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नही होगी।
12. नव आरक्षकों की स्पष्ट पहचान हेतु उनका परिचय पत्र/वोटर आईडी/ड्रायविंग लायसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड में से कोई एक कार्ड नव आरक्षक मूल प्रति के साथ में लेकर आये।
13. नव आरक्षकों को एक ही बार में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना है। यदि किसी कारणवश नव आरक्षकों द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर में से मात्र एक सेमेस्टर पूर्ण किया जाता है तो ऐसे नव आरक्षकों को दोबारा पूरा प्रशिक्षण करना होगा।
14. नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2025 के सम्पूर्ण प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण निदेशालय पुलिस मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक–12 आदेश क्रमांक पुमु/प्रशिक्षण /टी 6/2471/17 दिनांक 23/09/2017 के अनुसार कार्यवाही करेगे।
15. प्रशिक्षण संस्थान में आमद देने के उपरांत किसी भी नव आरक्षक को कोई परेशानी आती है वह संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देगे।
16. कोई भी नव आरक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल किसी प्रकार के आवेदन सीधे प्रेषित न करें और बगैर अनुमति के रेडियो मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल जायेगें।
17. यदि कोई महिला नव आरक्षक छोटे बच्चे एवं महिला केयरटेकर को प्रशिक्षण संस्थान में रखना चाहती है तो संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निदेशक पीआरटीएस इंदौर से विधिवत अनुमति प्राप्त कर रह सकती है केयर टेकर के रहने एवं भोजन का शुल्क पृथक देना अनिवार्य होगा।

(आर.के. सिंह)भापुसे
उमनि/निदेशक
पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इंदौर

क्रमांक : पु.रे.ट्रे.स्कूल/इं./उपुअ(रे)/बाह्रय प्रशि./ /25, दिनांक : / /2025
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(रेडियो), म0प्र0 भोपाल।
2. पुलिस अधीक्षक(रेडियो)– भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा उज्जैन, डायल100, सीसीटीवी एवं पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।
3. समस्त उपुअ(रेडियो)– झोन, रेंज एवं पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।
4. निज सचिव टू उमनि/निदेशक, पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।
5. प्रभारी(रेडियो)निरीक्षक/कोर्स/आउटडोर/वर्कशाप/कम्प्युटर/एसआरसी/भण्डार/एमटी, पु.रे.ट्रे.स्कूल इंदौर।

उमनि/निदेशक
पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इंदौर

O/C